

सहमति फ़ॉर्म - नाम और अन्य निजी जानकारी का दूसरों के लिए खुलासा करने के लिए (कृपया हस्ताक्षर पंक्ति को छोड़कर प्रिंट करें या टाइप करें)

आपका नाम: _____

उस स्कूल या अन्य संस्थान का नाम जिसके खिलाफ़ आपने यह शिकायत दाखिल की है: _____

- इस फ़ॉर्म में पूछा गया है कि क्या नागरिक अधिकार कार्यालय (OCR) आपका नाम और अन्य निजी जानकारी ऐसी स्थिति में साझा कर सकता है जब OCR फैसला करता है कि ऐसा करने से जाँच और आपकी शिकायत को हल करने में मदद मिलेगी।
- उदाहरण के लिए, यह तय करने के लिए कि क्या स्कूल ने व्यक्ति के खिलाफ़ भेदभाव किया है, OCR को अक्सर तथ्यों की पुष्टि करने या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति का नाम और अन्य निजी जानकारी स्कूल के कर्मचारियों के सामने प्रकट करने की ज़रूरत होती है। जब OCR ऐसा करता है, तो OCR कर्मचारियों को सूचित करता है कि व्यक्ति और उस व्यक्ति के साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ़ प्रतिशोध के सभी रूप निषिद्ध हैं। OCR गवाहों के साथ साक्षात्कार और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के दौरान भी व्यक्ति का नाम और निजी जानकारी प्रकट कर सकता है।
- अगर OCR को आपका नाम या निजी जानकारी प्रकट करने की अनुमति नहीं मिलती जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, तो OCR आपकी शिकायत को बंद करने का फैसला कर सकता है अगर OCR तय करता है कि इसे हल करने के लिए आपका नाम या निजी जानकारी प्रकट करना ज़रूरी है कि स्कूल ने आपके खिलाफ़ भेदभाव किया है या नहीं।

नोट: अगर आप OCR में शिकायत दाखिल करते हैं, तो OCR प्रेस या आम जनता के लिए आपकी शिकायत के बारे में कुछ जानकारी जारी कर सकता है, जिसमें स्कूल या संस्था का नाम; आपकी शिकायत दाखिल किए जाने की तिथि; आपकी शिकायत में शामिल भेदभाव का प्रकार; वह तिथि जब आपकी शिकायत हल, खारिज या बंद की गई; OCR के फैसले के बुनियादी कारण; या अन्य संबंधित जानकारी शामिल है। OCR द्वारा प्रेस या आम जनता के लिए जारी की जाने वाली किसी जानकारी में आपका नाम या उस व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा जिसकी ओर से आपने शिकायत दाखिल की है।
नोट: OCR की अपेक्षा है कि आप जानकारी के लिए इसके अनुरोधों का जवाब दें। OCR की जाँच और समाधान गतिविधियों में सहयोग करने में विफलता के कारण आपकी शिकायत बंद की जा सकती है।

कृपया अनुभाग ए या अनुभाग बी पर हस्ताक्षर करें (लेकिन दोनों नहीं) और OCR को वापस कर दें:

- अगर आपने अपनी ओर से शिकायत दाखिल की है, तो आपको इस फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- अगर आपने किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति की ओर से शिकायत दाखिल की है, तो उस अन्य व्यक्ति को इस फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

अपवाद: अगर शिकायत ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की ओर से दाखिल की गई है जिसकी उम्र 18 साल से कम है या जो कानूनी रूप से अक्षम वयस्क है, तो इस फ़ॉर्म पर उस व्यक्ति के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

- अगर आपने, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बजाय, लोगों के वर्ग की ओर से शिकायत दाखिल की है, तो फ़ॉर्म पर आपको हस्ताक्षर करने चाहिए।

ए. मैं OCR को OCR की जाँच और प्रवर्तन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने अपनी (और अपने नाबालिग बच्चे/वाई की जिसकी ओर शिकायत दाखिल की है) पहचान प्रकट करने की अनुमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

तिथि

या

बी. मैं OCR को दूसरों के सामने अपनी (और अपने नाबालिग बच्चे/वाई की जिसकी ओर शिकायत दाखिल की है) पहचान प्रकट करने की अनुमति नहीं देता। मैं समझता हूँ कि OCR को मेरी शिकायत को बंद करना पड़ सकती है।

हस्ताक्षर

तिथि

मैं झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत घोषित करता हूँ कि यह सच और सही है कि मैं ऊपर नामित व्यक्ति हूँ, और, अगर शिकायत नाबालिग बच्चे/वाई की ओर से दाखिल की है, तो मैं उस व्यक्ति का माता-पिता या कानूनी अभिभावक हूँ। यह घोषणा केवल व्यक्तियों की पहचान पर लागू होती है और शिकायत में दाखिल किन्हीं दावों तक विस्तारित नहीं होती।